प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
आगरा।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
दामोदर इण्टर कालेज होलपुरा
आगरा। 6773-75

Ro 3-10-2022

विषयः-. दामोदर इण्टर कालेज होलपुरा आगरा में रिक्त लिपिक श्रेणी / शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या / सा0(1)शि0 / वाद / 5873-75 / 2022-23 दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रश्नगत विद्यालय में रिक्त सहायक लिपिक के 01 पद को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु नियुक्ति की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में रिक्त सहायक लिपिक के 01 पद को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु नियुक्ति की पूर्वानुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1:-सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,उ.प्र0 प्रयागराज द्वारा प्रकाशित विज्ञाप्ति संख्या-परिषद-9 / 762 दिनांक 06.01.2022 के माध्यम से सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति एंव प्रसारित, शासन के पत्र संख्या-2058 / 15- 05-2021-1600(359) / 2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5,लखनऊ दिनांक 25.11.2021 द्वारा परिषद के विनियमों के अध्याय-तीन(सेवा की शर्तें) के विनियम 101 में किये गये संशोधन के आलोक में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी / शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु निर्धारितचयन प्रकिया का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

1:- उकत प्रकाशित विज्ञाप्ति संख्या-परिषद-9 / 762 दिनांक 6.01.2022 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी / शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु निर्धारित चयन प्रकिया का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

2:-जिस पद के प्रति नियुक्ति की जा रही हो उस पद के प्रति मा0 न्यायालय में कोई वाद लम्बित न हो।

3:-लिपिक सवर्ग में कोई भी कर्मचारी मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु शेष न हो।

4:-पूर्व से अधिसंख्य पद पर कार्यरत कर्मचारी समायोजन हेतु शेष न हो।

5:-संस्था में पदोन्नति हेतु कोई पात्र कर्मचारी शेष न हो।

6:-भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो प्रश्नगत अनुमति स्वतः निरस्त समझी जाए।

7:- नियुक्ति प्राधिकारी / प्रबन्धतन्त्र माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एंव जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले(जिला सूचना अधिकारी द्वारा निम्नवत राज्य स्तरीय बहुप्रचारित समाचार पत्रों का विवरण उपलब्ध कराया गया है-हिन्दी दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक अमर उजाला, हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान,हिन्दी दैनिक आज एंव हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय सहारा) कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार / आरक्षणवार पदों का विज्ञापन दिनांक 06.09.2022 को प्रकाशित कराया जायेगा। आवेदन पत्र भरने हेतु ऐंसा अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञपन प्रकाशन के दिनांक से 21 दिन के कम नही होना चाहिए) विहित करने हेतु विज्ञापन कराया जाए।

8:-उक्त प्रकाशित विज्ञप्ति का भुगतान विद्यालय प्रबन्ध समिति के स्तरसे किया जायेगा।

9:-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी / शिक्षणेत्तर पदोंपर चयन हेतु शासन / विभाग द्वारा निर्धारित चयन समिति का गठन किया गया है,जिसमें संस्था प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान में प्रबन्ध समित का सदस्य हो(विद्यालय प्रबन्ध समिति न होनेकी दशा में प्राधिकृत नियंत्रक समिति के अध्यक्ष होंगे)।

अतः उपरोक्त के अनुपालन करते हुए तदनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही करना एंव बिन्दु संख्या-09 में लिपिक श्रेणी / शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु निर्धारित चयन समिति में संस्था प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समितिद्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान में प्रबन्ध समित का सदस्य हो (विद्यालय प्रबन्ध समिति न होनेकी दशा में प्राधिकृत नियंत्रक समिति के अध्यक्ष होंगे) की सूचना प्रत्येक दशा में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के 02 दिन के भीतर अद्योहस्ताक्षरी को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि सदस्य नामित किये जाने हेतु समिति का गठन कराये जाने में अनावश्यक विलम्ब न हो। चयन समिति के कमांक -02, 03, 04 यथाविनिर्दिष्ट-05 की पूर्ति जनपद स्तर से अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से करायी जायेगी। तथा उक्त की सूचना से आपको अवगत कराया जायेगा।

संलग्नः- उक्तवत

भवदीय,

(मनोज कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
आगरा।

पृ0सं0 / / 2022-23 तददिनांकः-

प्रतिलिपिः- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:- शिक्षा निदेशक माध्यमिक उ0प्र0 लखनऊ।

2:-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
आगरा।

जनपद –आगरा

विद्यालय का नाम–

दिनांकः–

पत्रांक/ /2022–23

विज्ञापन

अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2058 /15– 05–2021–1600(359)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5,लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर 2021 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी/शिक्षणेत्तर पदों (समूह–ग) पर चयन हेतु चयन प्रकिया एंव विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1152/15–05–2021–1600(359)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 04 जुलाई 2022 एंव शासनादेश संख्या 1632/15–05–2022–1600(359)/2014दिनांक 17 सितम्बर 2022 द्वारा लिपिक चयन प्रकिया को पूर्ण किये जाने की अन्तिम तिथि में 01 माहकी वृद्वि करते हुए संशोधित अन्तिम तिथि 16 जनवरी 2023 निर्धारित की गयी के अनुपालन में इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निम्नवत शर्तो एंव प्रतिवन्धों एव पत्राजातों के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि **से .... अक्टूबर 2022 तक आमंत्रित किये जाते है।** आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन–पत्र विद्यालयों के उपरोक्त नाम व पते पर मात्र रजिस्टर्ड डांक द्वारा प्रेषित किया जायेगा। तथा उसकी छायाप्रति सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा की ई–मेल rmsa.agra@gmail.com पर भी प्रेषित किया जायेगा।

पदों की संख्या–01(एक)	**आरक्षण– एक पद अनारक्षित**	**संस्था में मात्र रजिस्टर्ड डांक से आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि ... 10.2022 सांय 5:00 बजे तक होगी।**

आवेदन हेतु पात्रता–

उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सम्पन्न करायी गयी उपरोक्त प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा(PET) में 50 प्रतिशत एंव अधिक पर्सेटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत चयन के लिये आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।(PET) स्कोर से तात्पर्य आवेदन की तिथि पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घोषित वैघ स्कोर से है)

आवेदन की प्रकिया–

प्रश्नगत चयन हेतु प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा(PET) में 50 प्रतिशत एंव अधिक पर्सेटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न प्रकिया के अनुसार आमंत्रित किया जायेगा।

1:–आयु सीमा–प्रश्नगत विज्ञापन में अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष 01 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एंव अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

2:– नोट–उ0प्र0 के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एंव ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी। कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–22/21/1983–कार्मिक–2,दिनांक 28 नबम्बर 1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाडियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। समाज के दिव्यांगजनो को उ0प्र0 सरकार के अद्यतन, नवीन विद्यमान कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश सं0'18/1/2008–का–2–2008 दिनांक 03 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

3:–आवेदन शुल्कः–

अनारक्षित(सामान्य)/अन्य पिछडा वर्ग– 750.00 आवेदन शुल्क

अनुसूचित जाति/जनजाति/ई0डब्लूएस0– 500.00 आवेदन शुल्क

(नोटः– आवेदन शुल्कबैंक ड्राफ्ट/पोस्टलआर्डर एंव एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक/प्राधिकार नियंत्रक/प्रबन्ध संचालक.........................के पद नाम से ....बैंक.......................आगरा में संचालित खाता संख्या................. ....IFSC CODE................में जमा किया जायेगा)

4:–पद का वेतनमान व अन्य भत्ते–

सहायक लिपिक पद हेतु न्यूनतम पें0 बैंड–5200–20200ग्रेड पे–2000 सांतवे वेतन आयोग के अनुसार एंव अन्य देय भत्ते अनुमन्य होंगे।

5:– चयन हेतु शैक्षिक अर्हता–

01 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।

02 माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के साथ–साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंन्स विषय को लिया गया हो।

अथवा

कम्प्यूटर साइंस का डीएस/निलिट द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र। अथवा कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा/डिग्री अथवा कम्प्यूटर में उच्च योग्यता धारी यथा कम्प्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री पी0जी0डी0सी0ए0, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, तथा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री(बी0ए0,बी0एस0सी0, बी0टैक,एम0एस0सी0, एम0बी0ए0) में कम्प्यूटर के रूप अथवा एक सेमेस्टर में कम्प्यूटर कार्स धारित।

03:–कम्प्यूटरपर हिन्दी टंकणगति न्यूनतम 25 शब्द प्रतिमिनट एंव कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होगी।

6:– चयन प्रकिया–

शासनादेश संख्या–2058/15–05–2021–1600(359)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर 2021,शासनादेश संख्या–1152/15–05–2021–1600(359)/2014 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5,लखनऊ दिनांक 04 जुलाई 2022 एंव एंव सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा प्रकाशित विज्ञाप्ति संख्या–परिषद–9/762 दिनांक 06.01.2022 के माध्यम से सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित में निहित प्राविधानानुसार चयन प्रकिया के अनुसार चयन किया जायेगा।

7:–टंकण परीक्षा–

—टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर करायी जायेगी। जिस हेतु आवेदन करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों में से प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा(PET) में सर्वाधिक पर्सेन्टाइल स्कोर प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों की चयन समिति के माध्यम से राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित होगी। जिसकी सूचना रजिस्टर्ड डांक से संस्था प्रबन्धक(नियोक्ताधिकारी) द्वाराटंकण परीक्षाहेतु निर्धारित तिथि से 15 दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को प्रेषित की जायेगी।

2:—टंकण परीक्षा क्वालीफाई करनेवाले अभ्यर्थियों की (PET) में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर तैयार होगी, तथा 01 पद के सापेक्ष अधिकतम 03 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार चयन समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। जिसकी सूचना चयन समिति के अध्यक्ष के द्वारा पृथक से अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डांक द्वारा दी जायेगी।

3:—चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के (PET) परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी चयनित किया जायेगा।

4:—चयन के उपरान्त चयनित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में वित्तीय अनुमन्यता सक्षम अधिकारी के स्तर से प्रदान किये जाने के उपरान्त नियुक्ति पत्र नियोक्ता संस्था प्रबन्धक(चयन समित के अध्यक्ष) द्वारा रजिस्टर्ड डांक द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

8:—अभ्यर्थियों के लिएसामान्य अनुदेशः—

01:—एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

02:—भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांगजन उ0प्र0 शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा किया गया दावा स्वीकार नही होगा।

03:—ऐंसे अभ्यर्थी जो शरीरिक रूप से विकलॉग होने का दावा करते है उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा तदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण—पत्र किसी सक्षम अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमण—पत्र में अभ्यर्थी की विकलॉगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखितहो।

04:—ऐंसे पुरूष अभ्यर्थी जो विवाहित है तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ है अथवा ऐंसी महिला जिनके ऐंसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी है पात्र नही माने जायेगे।

05:— आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक ही अभ्यर्थीयों द्वारा धारित अर्हता स्वीकार की जायेगी, आवेदनकी अन्तिम तिथि के बाद ग्रहण की गयी योग्यता /अर्हता पत्रता हेतु मान्य नही होगी।

6:—किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनके प्रमण पत्रों के आधार परपुष्टि नही की जा सकती, देने का प्रश्नगत चयन से प्रतिवारित (debar) किया जा सकता है।

7:—हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाणपत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्यनही होगा।

8:—आवेदन के साथ विवरण प्रारूप संलग्न है साथ ही विद्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

9:— सम्पूर्ण प्रकिया से सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट http:madhyamikshiksha-upsdc-gov-in एंव जनपद की अधिकारिक वेबसाइटagr-nic-in पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

प्रबन्धक

....

.... आगरा

पृ0सं0/ /2022—23 दिनांकः—

उपरोक्त विज्ञापन की प्रति सम्बन्धित जिला सम्पादक दैनिक समाचार पत्र जनपद आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञाप्ति/विज्ञापन को न्यूनतम आकार के शव्दों में शासकीय दर पर दिनांक............................... के संस्करण में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल की प्रति भुगतान हेतु संस्था को उपलब्ध कराये ताकि बिल का भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा सकें।

1:— जिला सम्पादक... दैनिक समाचार पत्र आगरा।

2:— जिलासम्पादक.. दैनिक समाचार पत्र आगरा

प्रबन्धक

....

.... आगरा